बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं0सं0–01/स्था0 (विविध)–64/2017.......1376......./न0वि0एवंआ0वि0। भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2015" का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**– (1) यह नियमावली "बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्त्ती (संशोधन) नियमावली, 2018" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **"बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2015 के नियम–2 के खण्ड (iii) एवं (iv) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे:–**
(iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत कोई पदाधिकारी;
(iv) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग।

3. **"बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2015 के नियम–5 का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली, 2015 के नियम–5 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–
"5 आरक्षण।– बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–1991 (अधिनियम–3, 1992) (समय–समय पर यथा संशोधित) एवं उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के प्रावधान और संकल्प सं0–963 दिनांक–20. 01.2016 द्वारा यथाविहित महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित रोस्टर एवं आरक्षण के प्रावधान इस संवर्ग की नियुक्ति में लागू होंगे।

4. **"बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्त्ती नियामवली, 2015 के नियम–9 (1) (iii) का प्रतिस्थापन।** – उक्त नियमावली, 2015 के नियम–9 (1) (iii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–
"(iii) चयन हेतु तकनीकी योग्यता/अहर्ता :–
(क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों के असैनिक अभियंत्रण (Civil Engineering) के डिप्लोमाधारी जिन्हें संबंधित तकनीकी शिक्षा पर्षद/विश्वविद्यालय के द्वारा डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने की स्वीकृति प्राप्त हो, अथवा
(ख) UGC Act के प्रावधानों के अधीन स्थापित DEEMED University द्वारा Non-Distance Mode में असैनिक अभियंत्रण में प्रदत्त डिप्लोमा बशर्त्ते कि उक्त DEEMED University को असैनिक अभियंत्रण Civil Engineering) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो।

5. **"बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2015 के नियम–10 का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली, 2015 के नियम–10 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–
"10. चयन की प्रक्रिया।– (1) इस संवर्ग के मूल कोटि कनीय अभियंता (असैनिक) के पदों पर चयन, डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता में प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर, आयोग द्वारा किया जायेगा। बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय में संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो इस संवर्ग में भर्त्ती की अहर्त्ता पूरी करते हैं, को चयन में, इस नियम के उप नियम–(2) (ख) के अनुसार, अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जाएगी।

(2) अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी :–

		पूर्णांक
(क) डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर	–	75 अंक
(ख) संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा)।	–	25 अंक
कुल	–	**100 अंक**

(3) संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंकित कट–ऑफ डेट की अवधि तक की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी।

(4) असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की कनीय अभियंता (असैनिक) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित रीति से की जाएगी :–

(क) "बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2015 के नियम–5 के तहत कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40 प्रतिशत पद राज्य के अधीन सरकारी पोलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगी, जिन्हें आरक्षण कोटिवार उपरोक्त नियम–10 (2) के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेधा सूची के आधार पर भरा जायेगा।

(ख) शेष रिक्ति आरक्षण कोटिवार "बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2015 के नियम–9 (1) (iii) द्वारा निर्धारित योग्यता/अहर्त्ता के आधार पर नियम–10 (2) में निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेधा सूची के आधार पर भरा जायेगा।

(ग) खण्ड–(ख) के रिक्त पदों के सामान्य प्रक्रिया से भरे जाने के पश्चात् अवशेष मेधा सूची के आधार पर खण्ड–(क) के आरक्षित पदों को राज्य के अधीन सरकारी पोलिटेक्निक से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से आरक्षण कोटिवार मेधा क्रम में चयन द्वारा भरा जाएगा।

6. **"बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्त्ती नियमावली–2015 के नियम–11 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–**

"11. आयोग नियम–10 के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेधा सूची तैयार करेगा एवं उसे सरकार को नियुक्ति हेतु अनुशंसित करेगा। आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों का पैनल एव वर्ष के लिए वैध होगा।'

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(चैतन्य प्रसाद)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था0 (विविध)–64/2017......1376......न0वि0एवंआ0वि0/पटना, दिनांक– 07/03/18

प्रतिलिपि :–ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड एवं सौफ्ट कॉपी के साथ आगामी बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजी जाय।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था0 (विविध)–64/2017......1376............न0वि0एवंआ0वि0/पटना, दिनांक– 07-03-18

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार पटना/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार पटना/बिहार लोक सेवा आयोग पटना /बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना/संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता/सभी विभागीय पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–श्री अमितेश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6/3/2018

सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

01/स्था0 (विविध)–64/2017 ....1376........../न0वि0एवंआ0वि0। बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्त्ती (संशोधन) नियमावली–2018" का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(चैतन्य प्रसाद)
सरकार के प्रधान सचिव।

1377 Patna, Dated-..07-3-18

No.- 01/स्था0 (विविध)–64/2017 In exercise of the powers conferred under the proviso to Article-309 of the Constiution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Urban Development & Housing Department Subordinate Engineering (Civil) cadre Recruitment Rules, 2015 :-

1. **Short title, extent and commencement.** - (1) These rules may be called the Bihar Urban Development & Housing Department Subordinate Engineering (Civil) cadre Recruitment (amendment) Rules, 2018."
2. (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
   (3) It shall come in force at once.
3. **Clause (iii) & (iv) of Rule 2 of the Bihar Urban Development & Housing Department Subordinate Engineering (Civil) cadre Recruitment Rules, 2015 shall be substituted by the following :-**
   (iii) **'Appointing Authority'** means any other officer authorised for this purpose by the Urban Development & Housing Department;
   (iv) **'Commission'** means The Bihar State Technical Staff Selection Commission;
4. **Substitution of Rule-5 of Bihar Urban Development & Housing Department Subordinate Engineering (Civil) cadre Recruitment Rules, 2015.** - Rules-5 of the said Rules, 2015 shall be substituted by the following: -
   "**5. Reservation-** The Provisions of the Bihar Reservation of vaccancies in posts and services (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes) Act-1991 (Act-3, 1992) (as amended from time to time) and the Rules made there under and the horizontal reservation for women issued by resolution No. 963 dated 20.01.2016 and the roaster and reservation as prescribed by the State Government, from time to time, shall be applicable to the appointment of this cadre.
5. **Substitution of Rule-9 (1) (iii) of Bihar Urban Development & Housing Department Subordinate Engineering (Civil) cadre Recruitment Rules, 2015 :-** Rule-9 (1) (iii) of the said Rules, 2015 shall be substituted by the following :-
   " (iii)-Technical qualification/eligibilities for selection :-
   (a) Deploma holer in Civil Engineering from the Institutes recognized by AICTE, which have been granted sanction for conducting Diploma courses by the concerned Technical Education Board/University.

   (b) Diploma in Civil Engineering in Non-Distance Mod Diploma from Deemed University established under UGC Act provided that sanctioned of UGC for conducting Diploma courses in Civil Engneering has been received.
6. **Substitution of rule-10 of Bihar Urban Devlopment & Housing Department Subordinate Engineering (Civil) cadre Recruitment Rules, 2015 :-** Rules-10 of the said Rules, 2015 shall be substituted by the following :-
   "**10. Procedure of selection.** - (1) Selection to the posts of basic category of Junior Engineer (Civil) of this cadre shall be made by the Commission on the basis of percentage of marks obtained in Diploma or equivalent qualification. Such candidates having experience of working on the posts of Junior Enginer (Civil) on contract basis under the Government of Bihar or in any Undertaking/Body/Corporation/Authority/Autonomous Body

7. under the Government of Bihar, who fulfill the qualifications of the recruitment in this cadre, shall be given preference in selection by giving additional marks according to sub rule (2) (b) of this Rule.

(2) Merit list of candidates shall be prepared on the following grounds:-

			Full Marks
(a)	On the basis of percentage of marks obtained in Diploma (Civil) or equivalent qualification -	-	75
(b)	Maximum weightage for the working experience on contract basis (Weightage of per working year shall be 5 marks maximum limit of which will be upto 25 marks. For part of any year, obtained proportionate mark by dividing by 365 to the no. of working days in that year multiplying by number 5, will be added)	- - -	25
		Total-	**100 Marks**

(3) Determination of working period on the contract basis shall be made on the basis of Payment Certificate issued by their respective Controlling Officers. For this, the period up to the cut-off date mentioned in the advertisment published by the Commission may be calculated for the working experience.

(4) Appointment of the Civil Diploma holding candidates as Junior Engineer (Civil) shall be made in the following manner :-

(a) As per Rule-5 of the Bihar Urban Development & Housing Department Subordinate Engineering (Civil) Cadre Recruitment Rules, 2015, 40% seats of total vacant posts shall be reserved for the candidates holding Civil Diploma from the Government Polytechnic Institutes under the state as per category wise reservation merit list, which will be filled on the basis of merit list prepared under the procedures determined by the above said Rule 10 (2).

(b) Remaining vacancies shall be filled reservation wise on the basis of merit list prepared under the procedures determined by above in Rule 10 (2) on the basis of eligibilities/qualifications determind by Rule-9 (1) (iii) of Bihar Urban Development & Housing Department Subordinate Engineering (Civil) Cadre Recruitment rules, 2015.

(c) After filling vacant posts of clause (b) through general procedure, the reserved posts of clause (a) will be filled from the remaining merit list on the basis of reservation categoriwise merit from the candidates passing from the Goverment Politechnics of the state in order of merit by selection.

6. Rule-11 of the Bihar Urban Development & Housing Department Subordinate Engineering (Civil) Cadre Recruitment rules, 2015 shall be subsituted by the following:-

"11. The Commission shall prepare final merit list of selected candidates according to Rule-10 and shall recommend to the Goverment for appointment. The panel of candidates recommended by the Commission shall be valid for one year."

By the order of Governor

sd/-
Principal Secretary
Urban Devlopment & Housing Department

ज्ञापांक–01/स्था0 (विविध)–64/2017......1377......न0वि0एवंआ0वि0/पटना, दिनांक– 07-3-17

प्रतिलिपि :–ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड एवं सौफ्ट कॉपी के साथ आगामी बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजी जाय।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था0 (विविध)–64/2017......1377......न0वि0एवंआ0वि0/पटना, दिनांक– 07-3-18

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार पटना/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार पटना/बिहार लोक सेवा आयोग पटना /बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना/संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता/सभी विभागीय पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री अमितेश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6/3/2018

सरकार के प्रधान सचिव।